दिनांक 08.11.2017 को पंकज दीक्षित, भा.प्र.से. जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में बैंक खाता विवरणी प्रपत्र ए, बी, सी. एवं डी समर्पित करने संबंधी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार संधारित।

जिला कोषागार, किशनगंज जिला अन्तर्गत कुल 148 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सूचीबद्ध हैं, जिसमें कुल 41 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ। शेष निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को संशोधित विहित प्रपत्र A, B,C एवं D में पत्रांक 800 दिनांक 23.10.2017 के आलोक में जॉच कराने हेतु उपस्थित नहीं हुये। स्मरणीय है कि वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

दिनांक 08.11.2017 को वैसे सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की बैठक बुलाई गई थी उसमें उपस्थिति पंजी के अनुसार कुल 31 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हुये। निदेशित किया गया कि वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो बैठक में अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाय तथा स्पष्टीकरण भी दिनांक 11.11.2017 के संध्या 04.00 बजे तक समर्पित करेंगे।

यह निदेश प्राप्त हुआ है कि वैसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जॉच तिथि को उपस्थित नहीं हुये या अपूर्ण प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हुये उनका निर्धारित तिथि से जितना विलम्ब से पूर्ण प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होकर जॉच करायेंगे उतने दिनों/उक्त जमा तिथि तक का वेतन कटौती किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बैंक में स्वयं दिनांक 31.10.2017 तक का स्टेटमेंट का प्राप्त करेंगे तथा उसी आधार पर अपना प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में रोकड़ बही के साथ दिनांक 11.11.2017 के संध्या 4.00 बजे तक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में पूर्ण प्रतिवेदन अचूक रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा चूक के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(पंकज दीक्षित, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 816 /कोषा0., किशनगंज, दिनांक 09 /11/2017

प्रतिलिपि : सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(पंकज दीक्षित, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

Scanned by CamScanner